

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 02/2024(GCMS : 2024/8 )

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा - श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विशाल वर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अंचल कार्यालय छटा तल, फॉर्च्यून हाईट्स, अहिंसा सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर (राज.)

बनाम

1. सतीश कुमार पुत्र श्री प्रभु दयाल निवासी मकान नं. 200 अशोक नगर-8, श्रीगंगानगर
2. शालू पुत्री ओम प्रकाश निवासी मकान नं. 47, बापू नगर, श्रीगंगानगर

09.01.2024



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सतीश कुमार एवं शालू को ऋण सुविधा के रूप में राशि 13.50/- लाख रुपये, (अखरे रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 05.04.2021 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सतीश कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति मकान नं. 200(क्षेत्रफल 20 गुण 25 वर्गफुट), अशोक नगर,-बी, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सतीश कुमार एवं शालू को ऋण सुविधा के रूप में 13.50/- लाख रुपये (अखरे रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 05.04.2021 प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण सतीश कुमार ने अपनी अचल सम्पत्ति मकान नं. 200(क्षेत्रफल 20 गुण 25 वर्गफुट), अशोक नगर,-बी, श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण का



*Just*  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

खाता दिनांक 09.11.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को प्रार्थना पत्र अनुसार धारा 13(2) के व्यक्तिशः तामील करवाये है, धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर के अनुसार उन्हें नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी सतीश कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति मकान नं. 200(क्षेत्रफल 20 गुण 25 वर्गफुट), अशोक नगर,—बी, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।


जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 27.12.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 27.12.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण व्यक्तिशः तामील करवाया है जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण हस्ताक्षरयुक्त धारा 13(2) नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति

  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सतीश कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी सतीश कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अपनी अचल सम्पत्ति मकान नं. 200(क्षेत्रफल 20 गुण 25 वर्गफुट), अशोक नगर,—बी, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अंशदीप)  
जिला मजिस्ट्रेट  
बी गंगानगर